राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध प्रकरण संख्या – 07 / 2020
तारीख दायरा – 09 / 11 / 2020

प्रार्थी :–

1. अकबरखां पुत्र अहमदखां जाति–मुसलमान
   निवासी–नारलाई तहसील देसूरी जिला–पाली।

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सुशील दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ईश्वरसिंह नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

– : निर्णय : –

दिनांक 30/7/2021

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम नारलाई तहसील देसूरी का मूल निवासी है। प्रार्थी के पिता अहमद खां पुत्र जीवेखांजी का देहांत दिनांक 21.05.2006 को हो चुका है। प्रार्थी सहित चार भाई है। अकबरखां, छोटू खां, मोहम्मद खां, यासीन खां है। प्रार्थी का माता जीवित है। जिसका नाम गफूरन है। प्रार्थी के पिता स्व0 अहमद की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 270 कुल रकबा 4.0300 हेक्टर व गै मु. बेरा खाता संख्या नया 91 व पुराना 89 है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 134 मी, 135, 136 है। प्रार्थना–पत्र के साथ मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण व नक्शे, तथा गिरदावरी संवत 2030 से 2033, 2034 से 2036, 2062 से 2065, 2066 की प्रतियां संलग्न है।

दिनांक 22.01.1959 को प्रार्थी के पिता अहमद खां के पक्ष में उक्त भूमि बाबत् बक्शीशनामा किया था जिसमें पिता अहमद खां का नाम दर्ज है। बक्शीशनामे की फोटो प्रति सलग्न है प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम अहमद पुत्र जीवेखां जी है। प्रार्थी के पिता अहमदखांजी, जीवेखांजी के गोद पुत्र है।

राजस्व रेकर्ड में पुराने व नये रेकर्ड में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम अहमदखांजी की जगह उम्मेदखां दर्ज किया गया है जो गलत है। जिसे सुधारी जाकर अहमदखां नाम दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम नारलाई की जमाबंदी संवत 2026 से 2029 के खसरा नम्बर 134, 135, 136 कुल रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी अहमदखां खोले जीवेखां मुसलमान के नाम नामान्तरकरण संख्या 369 के जरिये दर्ज हुई थी। जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के लेखन के वक्त उम्मेदखां खोले जीवेखां मुसलमान दर्ज किया गया।

अभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। बहस पर मनन किया गया खतोनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 136, 134, 135 में जीवा पुत्र इकाम के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2026 से 2029 के अनुसार अहमदखां खोले जीवेखां के नाम खसरा नम्बर 136, 134, 135 की खातेदारी दर्ज है। जो कि नामान्तरकरण संख्या 369 से दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी उम्मेदखां खोले जीवेखां के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2036 में भी उम्मेदखां दर्ज है। मृत्यु प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत नारलाई से जारी में उम्मदेखां पुत्र जीवेखां के नाम से जारी किया गया है, मृत्यु दिनांक 25.05.2006 दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थीगण के पिता का नाम उम्मदेखां दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संवत 2030 की जमाबंदी से मृत्यु तक मृत्यु प्रमाण–पत्र भी उम्मेदखां के रूप में ही जारी किया जाना जाहिर है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया जो उम्मेदखां एवं अहमदखां एक ही व्यक्ति होना साबित करता हो एवं कोई भी लिपिकीय त्रुटि नही होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज योग्य प्रतीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) दसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
दसूरी

आदेश आज दिनांक 30/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
दसूरी
(एस.डी.ओ.) दसूरी (पाली)